07.12.17 वकील प्रार्थी व APP उपस्थित। प्रार्थी / अपीलान्ट अभिभावक अन्य अदालतों में व्यस्त होने से पैरवी करने नहीं आ सके। प्रार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है। अपील को नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर